



2. पैट

प्रमाण पत्र, सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान/सरपंच के लेटर हेड पर जारी किया जाना है।

अनुभव प्रमाण पत्र

मैं, मन्तर किशोर (ग्राम प्रधान/सरपंच का नाम).
 ग्राम प्रधान/सरपंच- ग्राम पंचायत चन्द्राखेड़ा विकास
 खंड दिलौली जनपद खण्डवा
 प्रमाणित करता/करती हूँ कि श्री/श्रीमती
श्रीमम जाधवसहाय (उम्मीदवार का नाम), पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती
रविश कुमार (पिता/माता का नाम), निवासी
चन्द्राखेड़ा (ग्राम पंचायत का नाम), जिसका
 आधार संख्या 91356913664 (आधार संख्या) है, ने हमारी
 ग्राम पंचायत चन्द्राखेड़ा में पेयजल वितरण प्रणाली के संचालन/मैनेजिंग
 और रखरखाव में न्यूनतम 2 वर्षों तक कार्य किया है।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी प्रविष्टियाँ मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।
 यदि मेरे द्वारा उपलब्ध किये गये उपरोक्त तथ्य किसी भी समय एवं स्तर पर असत्य/गलत पाये
 जाते हैं तो इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए
 मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

दिनांक:

हस्ताक्षर और मुहर
 ग्राम प्रधान/सरपंच का नाम
 (ग्राम पंचायत)

प्रधान
 ग्राम पंचायत-चन्द्राखेड़ा
 खण्डवा जिला-खण्डवा